मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२४

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा २४ का संशोधन.

४. अनुसूची ३ का संशोधन.

५. संक्रमणकालीन उपबंध.

६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(क) खण्ड (८०) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(८०क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(८०ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;";

(ख) खण्ड (१०२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(१०२क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,—

(एक) दांव लगाने;

(दो) कैसिनो;

(तीन) द्यूतक्रीड़ा;

(चार) घुड़दौड़;

(पांच) लाटरी; या

(छह) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,
में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है;";

(ग) खण्ड (१०५) में, अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या प्रबंध करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है, या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या हस्तांतरित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो;";

(घ) खण्ड (११७) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(११७क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) की धारा २ के खण्ड (४७क) में समनुदेशित है;";

धारा २४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २४ में, खण्ड (ग्यारह) में, अंत में, "और" का लोप किया जाए, उसके पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग्यारह क) भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और"

अनुसूची ३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की अनुसूची ३ में, पैरा ६ में, शब्द "लाटरी, दांव और द्यूत" के स्थान पर, शब्द "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" स्थापित किए जाएं.

संक्रमणकालीन उपबंध.

५. इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

६. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक २ सन् २०२४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

करदाताओं को सुविधा दिए जाने हेतु, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) की कतिपय परिभाषाओं, रजिस्ट्रेशन से संबंधित उपबंधों और अनुसूची ३ में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को संशोधित करने के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

(एक) धारा २ में, ''ऑनलाइन गेम खेलना'', ''ऑनलाइन धनीय गेम खेलना'', ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे'' तथा ''आभासी डिजिटल आस्ति'' को परिभाषित करने के साथ ही धारा २ में ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे'' की पूर्ति के मामले में ''पूर्तिकार'' के संबंध में स्पष्टता लाने हेतु ''पूर्तिकार'' की परिभाषा में संशोधन करना.

(दो) भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा २४ में एक नवीन खण्ड का अंत:स्थापन करना.

(तीन) अधिनियम की अनुसूची ३ के पैरा ६ में, वर्तमान प्रविष्टियों ''लाटरी, दांव और द्यूत'' के स्थान पर, ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे'' का स्थापन करना, जिससे कैसिनो, घुड़दौड़ तथा ऑनलाइन गेम खेलने में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावों की करयोग्यता के संबंध में स्पष्टता प्रदान की जा सके.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक १ सन् २०२४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

४. अत: विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख ७ फरवरी, २०२४

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.